न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा जिला–भीलवाडा
बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–6 / 2016

उनवान

1. श्रीमती देवली पत्नी महादेव तेली निवासी टौंकरवाड़ तहसील हुरड़ा

–अपीलार्थी

बनाम

1. पृथ्वीराज पिता जमना लाल तेली निवासी टौंकरवाड़ तहसील हुरड़ा
2. शिव पिता जमना लाल तेली निवासी टौंकरवाड़ तहसील हुरड़ा
3. अशोक पिजा जमना लाल तेली निवासी टौंकरवाड़ तहसील हुरड़ा
4. नानूडी पत्नी जमना लाल तेली निवासी टौंकरवाड़ तहसील हुरड़ा
5. शोभा पुत्री चून्नी लाल तेली निवासी टौंकरवाड़ तहसील हुरड़ा
6. मिठू पिता चून्नी लाल तेली निवासी टौंकरवाड़ तहसील हुरड़ा
7. महादेव पिता चून्नी (मृतक के स्थान पर)
   7/1 बजरंग लाल पिता महादेव तेली निवासी टौंकरवाड़ तह.हुरड़ा
   7/2 मु. देबी पुत्री महादेव पत्नी श्रवण तेली निवासी उंखलिया
   7/3 मु. लक्ष्मी पुत्री महादेव पत्नी सुरेश तेली निवासी हाजियास
8. सरपंच ग्राम पंचायत टौंकरवाड़ पंचायत समिति हुरड़ा

–रेस्पोडेंट

उपस्थित :– श्री रतन लाल वैष्णव, वकील अपीलार्थी

<u>–:अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम:–</u>
<u>बसिलसिले नामान्तकरण संख्या–2094 दिनांक 05 / 06 / 2009</u>
<u>ग्राम पंचायत टौंकरवाड़</u>

–:आदेश:–

दिनांक–25 / 05 / 2017

1. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि अधिनिस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण सं. 2094 दिनांक 05.06.2009 फेसल किया गया जो तथ्यों से परे होकर अवेधानिक है ।

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

2. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण सं. 2094 दिनांक 05.006.2009 फेसल करते समय विधिक प्रावधानो को नजरअन्दाज किया गया जिससे भी उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

3. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तकरण सं. 2094 फैसल करते समय आराजियात अपीलाधीन के जायज केता व मालिकाना/अपीलान्ट से न तो पूछताछ की गई न ही अपीलान्टस को तलब किया गया एवं न ही समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया इस प्रकार से उक्त नामान्तकरण फैसल किये जाने की विधिक कार्यवाही अनदेखी कर जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा घोर अनियमितता की गई है जिससे उक्त नामान्तरण सं. 2094 दिनांक 05.06.2009 अपान्त किये जाने योग्य है ।

4. नामान्तकरण सं. 2094 आदेश दिनांक 05.06.2009 से श्रीममती छग्गू पत्नी चून्नी तेली निवासी टौंकरवाड के द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के जरिये जो उप पंजियनक कार्यालय कमांक 832 दिनांक 29.05.2009 से पंजिबद्ध हुआ से अपीलान्ट की आराजी सं. 994 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा मे उसका हिस्सा 1/2 नीहित था । जिसका 11/3 हिस्सा अर्थात आराजी खसरा नम्बर 994 के कुलिया रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा 1/6 हिस्सा विकय कर के मौंके पर कब्जा अपीलान्ट का सम्भला दिया एवं विकेता श्रीमती छग्गू के द्वारा कब्जा कराने के बाद से अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है । जिसका नामान्तरण अधिनस्थ न्यायलय के द्वारा निर्णित किया जाकर आदेश पारित किया गया है जिसके अन्तर्गत आराजी नम्बर 994 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा से संबन्धित है जिसका 1/6 हिस्सा श्रीमती छग्गू पत्नी चून्नी लाल के हिस्से के 1/3 हिस्से एक मात्र अधिकारीणि अपीलार्थी होकर अपीलार्थी के कब्जे काश्त की होकर अपीलार्थी के हक अधिकार की है। इस प्रकार आराजी जैर बहस के 1/6 हिससे अर्थात श्रीमती छग्गू के हिस्से से 1/3 हिस्से पर अपीलार्थी का ही कब्जा काश्त होकर और किसी दिगर का अधिकार नही है ।

5. विकेता श्रीमती छग्गू का देहान्त सन 2011 मे हो गया है जिसका सजरा निम्न प्रकार से हैं ।

श्रीमती छग्गू (मृत्यु सन 2011)

जमना लाल | शोभा पुत्री प्रति.सं. 5 | मिठू पुत्र प्रति सं.6 | महादेव पुत्र प्रति सं.7

(जमना लाल के वारिसान:)
पृथ्वीराज पुत्र प्रति. सं. 1 | शि पोत्र प्रति. सं. 2 | अशोक पोत्र प्रति.सं. 3 | नानूडी पुत्रवधु प्रति सं.4

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेरा सं. 4 मे अंकित आराजी जैर बहस

अर्थात कुलिया आराजियात के रकबे का 1/6 हिस्सा अपीलान्ट का विकय कर दिया गय जिसके अनुसार हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण दाखिल किया गया एवं भू.अ. द्वारा रजिस्टर्ड खत/विकय पत्र के अवलोकन जांच के बाद पटवारी हल्का द्वारा दाखिल नामान्तकरण सही होने का अंकन जांच मे किये जाने के बाद भी तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये गलत एवं अवेधानिक रूप से विक्रेता छग्गू के बजाय अपीलान्ट के नाम आराजी जैर बहक खसरा नम्बर 994 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा का आधा 1/2 हिस्सा का 1/6 हिस्सा विक्रेता छग्गू के बजाय अपीलान्ट के बजाय विक्रेता छग्गू के बजाय अपीलान्ट के नाम अंकत की स्वीकृति का आदेश देकर गलत रूप से नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गय । जबकि अपीलार्थी के द्वारा आराजियात खसरा नम्बर 994 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा के सम्पूर्ण रकबे का 1/6 हिस्सा अर्थात विक्रेता छग्गू का 1/3 हिस्सा क्रय किया था परन्तु गलत रूप से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर बहस का सम्पूर्ण रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा 1/2 हिस्सा 1/6 हिस्सा का गलत तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण फैसल किया गया है जो गलत है जबकि अपीलार्थी के द्वारा श्रीमती छग्गू से आराजी जेर बहस से कुलिया रकबा 1/6 अर्थात श्रीमती छग्गू के हिस्से का 1/3 हिस्स खरीद किया है इस प्रकार से अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा किये गये निर्णत से अपीलार्थी के हकों पर कुठारा घात होकर नियमो से परे है इस प्रकार से नामान्तकरण सं. 2094 दिनांक 05.06.2009 निर्णित किया गया जो काबिल खारिज के हे ।

7. अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना किसी विधिक जांच व आधार के अपीलार्थी के द्वारा क्रय की गई जमीन का कम हिस्सा दर्ज करने की स्वीकृति देकर अपीलाधीन नामान्तकरण निर्णित किया गया है जो तथ्यों से परे होकर प्रथम् रूप अपास्त किये जाने योग्य है।

8. अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तकरण फैसल किया जो बिना किसी जांच पडताल किये मन मकसूद तौर पर बिना अपीलार्थी को सुने फैसल किया जो विधि विरूद्ध एवं नैसृगिक सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं।

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

9. विवादास्प्रद नामान्तकरण प्रथम दृष्टया ही विदित होता है पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के नाम सही नामान्तकरण दाखिल किया गया एवं जांच भू.अ.निरीक्षक द्वारा सही पाया गया उसके बाद से ही

रजिस्टर्ड खत के द्वारा खरीद किये गये बेचान नामे पटवारी हल्का व गिदावर हल्का द्वारा नामान्तकरण दाखिल की कार्यवाही के विपरीत विवादित निर्णय पारित के पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत टौंकवाड़ को अपीलार्थी को भी तलब किया जाकर मामले के तथ्यों की पूर्ण जानकारी की जाना चाहिये व अपीलार्थी को सुना जाकर विवादास्प्रद नामान्तकरण निर्णित किया जाना चाहिये था परन्तु न तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत टौंकरवाड के द्वारा अपीलार्थी को तलब किया गया एवं न ही सुना गया एवं न किसी साक्ष्य सबूत को पेश करने का मौका दिया गया । काननू के लाजमी प्रावधानो के अनुसार सम्बन्धित पक्षकरों को तलब किया जाकर पक्षकरों को सुनने के बाद ही नामान्तकरण निर्णित किया जाना चाहिये था । इस प्रकार से कानून की अनदेखी की जाकर विवादस्प्रद नामान्तकरण फैसल किया गया जो तथ्यों एवं विधि समवत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

10.अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत टौंकरवाड़ द्वारा जो नामान्तकरण फैसल की कार्यवाही की गई उसमे कब्जे के बारे मे भी कोई जांच नही की गई अपीलार्थी के कब्जे की जांच की जाति तो अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा गलत नामान्तरकरण निर्णय की कार्यवाही नहीं की जाती कब्जे की सही जांच के अभाव मे की गई नामान्तकरण की कार्यवाही प्राथमिक रूप से अवेधानिक होकर काबिल निरस्त योग्य है जिससे उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है ।

11.अपीलार्थी को उक्त नामान्तकरण की जानकारी हाल ही दिनांक 20.07.2016 को अपने खाते की नकल वास्ते बैंक ऋण लेने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तब इस अवेध नामान्तकरण कार्यवाही की जानकारी मुझ अपीलार्थी को होने पर यह अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है । फिर भी न्यायिक प्रकिया के अधीन धारा 5 कानून मियाद के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र प्रस्तुत है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

12.अन्त में अंकित किया गया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण सं. 2094 आदेश दिनांक 05.06.2009 वाके ग्राम टौकरवाड़ तहसील हुरड़ा अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा फैसल किया गया उसे अपास्त किया जावें व अन्य दादरसी अपीलान्ट के हक मे हो वह भी प्रदान करायी जावें ।

13.प्रस्तुत अपील बाद जांच दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये

उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये । रेस्पोटेन्ट सं. 05 व 06 स्वयं उपस्थित हुये रेस्पोडेन्ट सं. 07 के वारिसान की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये रेस्पोडेन्ट सं. 8 बावजूद सुचना के गैर हाजिर रहे । उपस्थित रेस्पोडेन्ट के अधिवक्तागण के द्वारा जवाब का अवसर चाहने से प्रकरण जवाब/बहस मे नियत किया गया ।

14. प्रकरण आज लोक अदालत मे प्रस्तुत हुआ वकील अपीलार्थी उपस्थित हुये रेस्पोडेन्टगण बावजूद सुचना के अनुपस्थित रहे । वकील अपीलार्थी के द्वारा प्रकरण का लोक अलादत केम्प मे निस्तारण करने की इस्तदुआ करने पर उनकी बहस सुनी गई ।

15. वक्त बहस अपीलार्थी ने अपने अपील के कथनों को दोहराते हुये अन्त में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी जांच पडताल किये मन मकसूद तरीके से विधि विरूद्व आदेश पारित किया हैं। जो अपास्त योग्य हैं। तथा आगे कथन किया कि अपीलार्थी के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 994 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा सम्पूर्ण रकबे का 1/6 हिस्सा अर्थात विकेता छग्गू का 1/3 हिस्सा कय किया था । परन्तु गलत रूप से अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा आराजी जैर बहस का सम्पूर्ण रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा का 1/2 हिस्से का 1/6 हिस्सा गलत तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के नाम नामान्तकरण फैसल किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य होने से अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जावें ।

16. मैंने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा हैं। पत्रावली मे उपलध ग्राम टौंकरवाड़ का विवादित नामान्तकरण सं. 2094 निर्णय दिनांक 05. 066.2009 का अवलोकन किया उक्त नामान्तकरण आराजी खसरा नम्बर 994 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा के खातेदार छग्गू बेवा चुन्नी तेली के द्वारा अपना निहित 1/2 हिस्से मे से 1/6 हिस्सा अपीलार्थी को विकय कर देने से पटवारी हल्का के द्वारा उक्त नामान्तकरण खोला जाकर बाद जांच गिरदावर हल्का के न्यायालय ग्राम पंचायत टौंकरवाड़ मे प्रस्तुत किये जाने से अधिनस्थ-न्यायालय ग्राम पंचायत टौंकरवाड़ के द्वारा उक्त नामान्तकरण को दिनांक 05.06.2009 को निर्णित किया गया जाकर खसरा नम्बर 994 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा का 1/2 हिस्सा का 1/6 हिस्सा छग्गू बेवा चुन्नी तेली के बजाय देवली बेवा महादेव तेली के नाम दर्ज करने के आदेश प्रसारित किये गये है । जो प्रथम दृष्टया ही गलत प्रतित हुआ है ।

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

17. चूंकि अपीलार्थी देवली बेवा महादेव तेली के द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी नम्बर 994 रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा के सम्पूर्ण रकबे का 1/6 हिस्सा अर्थात विक्रेता छग्गू का 1/3 हिस्सा क्रय किया गया था । परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विक्रय पत्र का अवलोकन किये बिना ही अपने मन मनसूद तरिके से आराजी जैर बहस का 1/2 हिस्से का 1/6 हिस्सा का नामान्तकरण अपीलार्थी के पक्ष मे खोले जाने का निर्णय पारित किया गया है । जो विधि विरूद्ध है । अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह अपीलार्थी को व खातेदार विक्रेता छग्गू को सुनवाई का समुचित अवसर देते किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई जांच पडताल अथवा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय पुनः नामान्तकरण की सुनवाई किया जाना न्यायहित में उचित समझता हैं। तदनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

–आदेश –

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत टौंकरवाड़ के नामान्तकरण संख्या– 2094 निर्णय दिनांक 05.06.2009 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार हुरडा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह स्वयं उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये । बाद सुनवाई विस्तृत विवेचन कर नव निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतू तहसीलदार हुरडा को दी जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 25.05.2017 को खुली लोक अदालत केम्प कोट टौंकरवाड़ पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)